स्वशासन की ओर

हमारी ग्राम सभाऐं और पंचायतें

विष्य सूचि

स्वशासन 3

11वी अनुसूचि के विषय 7
आदर्श स्वशासन (सुशासन) के काम 11
स्वशासन की ताकत के कुछ उदाहरण 13

ग्राम सभा 16

ग्राम सभा क्या है? 17
ग्राम सभा से ग्राम पंचायत का रिश्ता 18
ग्राम सभा की (बैठक) मीटिंग 19
ग्राम सभा में कैसे कार्य किया जाऐ 21
ग्राम सभा को सक्रिय करने के तरीके 23
ग्राम सभा की बैठक कैसे बुलायें? 24
ग्राम सभा सदस्यों की तैयारी क्यों ज़रूरी है? 25
ठोस एवं सही प्रस्ताव कैसे बनायें? 26
ग्राम सभा के प्रमुख कार्य 28
ग्राम सभा के अधिकार 31
ग्राम सभा द्वारा कुछ ध्यान रखने योग्य बात 32
मध्यप्रदेश में ग्राम सभा की व्यवस्था 34
ग्राम सभा की आय 39

केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाले अनुदान की योजनाये 40
ग्राम कोष 42
ग्राम सभा का गांव के कर्मचारियों पर नियंत्रण 44
गोकुल ग्राम प्रकल्प 46
ग्राम पंचायत 48
पहले की पंचायत व्यवस्था 48
पंचायतों का नया स्वरूप 49
पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था 50
पहले और आज की पंचायतों का अंतर 52
73 वां संविधान संशोधन 53
ग्राम पंचायत की समितियॉ 56
ग्राम पंचायत की समितियों के कार्य 57

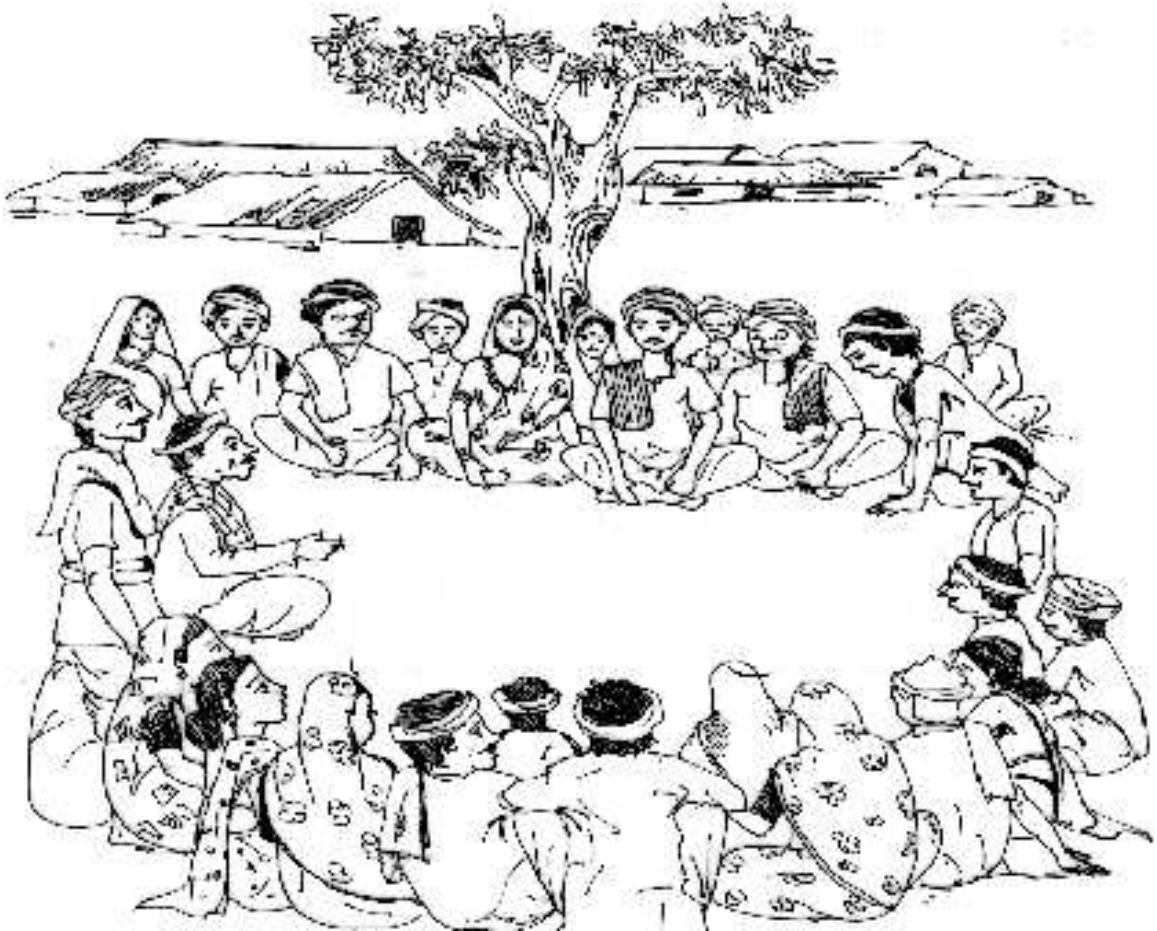

स्वशासन

स्वशासन का सामान्य अर्थ है स्थानीय लोगों का अपना शासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? स्थानीय लोगों का अपना शासन अर्थात ऐसी सरकार जो स्वयं स्थानीय लोगों द्वारा चलायी जाये और स्वयं ही अपनी गतिविधियों पर निगरानी रखे। इस ढंग से गांव के लोगों द्वारा अपने कामकाज को चलाना स्वशासन कहलाता है। एक तरह से स्थानीय सरकार ही कहिये। स्थानीय सरकार से मतलब है, स्थानीय मुद्दों से जुड़ी हुयी गतिविधियों और योजनाओं में लोगों की भागीदारी हो।

भारत में स्वशासन लाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गयी। अब सवाल उठता है कि **पंचायती राज क्या है?**

1. पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है।
2. पंचायती राज निर्वाचित सदस्यों का निकाय है जो गँाव की आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए काम करते है।

3. पंचायती राज में ग्राम सभा निर्वाचित सदस्यों को सहयोग देते हैं और नज़र भी रखते हैं। स्वशासन क्या है?

पंचायती राज व्यवस्था में यही करने का प्रयास किया गया है कि गाँव स्तर पर स्थानीय लोग स्वशासन को अपने जीवन का अंग बनायें। जिसे हम संविधन में 73वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसके पीछे असली मंशा यही थी कि कैसे स्थानीय लोगों में स्वशासन की सोच विकसित हो इसके लिए सरकार ने अपने स्तर से कुछ नियम बनाये जिससे लोग अपने कार्य खुद करने सीखें और स्वशासन की भावना मजबूत हो। इस कार्य के लिए पंचायती राज को सख्ती से लागू किया गया। जिसका मकसद था–

1 इसके जरिये स्थानीय स्तर पर शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2 स्थानीय लोगों की सहभागिता के आधार पर ही ग्राम विकास की योजनाएं बनाना।
3 गाँव के विकास से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जिम्मेदारी का आभास कराना।
4 स्थानीय विकास की योजनाओं कार्यक्रमों और प्लानिंग से गाँववालों को लाभ पहुँचाना।

स्थानीय शासन द्वारा पंचायतें आम लोगों को सशक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन को प्रथम एवं मौलिक स्तर पर समझा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन का काम केवल योजना बनाना और उन्हें लागू करना ही नहीं है, बल्कि स्थानीय संसाधनों और आपसी संबन्ध तथा एक तरह से अपने पूरे समुदाय का ध्यान रखना है। जिससे

सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित किया जा सके और एक सभ्य समाज बन सके।

स्वशासन की असली मंशा स्थानीय विकास से जुड़ी है। अब यह विकास क्या है? और इसे कैसे किया जाये? असल में विकास का विचार बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा है। अच्छी शिक्षा का होना, अच्छे स्वास्थ्य का होना, पानी और सड़कों की उचित व्यवस्था का होना, बाजार का होना यह सब विकास से जुड़ी हुयी चीज़ें हैं। इन सबका संबंध लोगों के बेहतर जीवन से है। अर्थात् लोगों के जीवन में किसी भी तरह की बेहतरी विकास है।

इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का मतलब लोगों का अपना शासन है। जिसमें लोगों के पास वे सब अधिकार हो जिनसे वे अपना विकास स्वयं कर सकें। स्थानीय स्तर की समस्याओं को खुद अपने स्तर पर सुलझा सकें। अपने संसाधनों और अपनी समझ के आधार पर अपने विकास की प्लानिंग स्वयं कर सकें और अपने हिसाब से फेर बदल कर सकें। यही असली स्वशासन होगा।

सरकारी स्तर पर इसे कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया कि लोग अपने विकास की योजनाएं स्वयं बनाये, उन्हें स्वयं लागू करें, अनुशासन संबंधित कायदे कानून बनायें और अपने समाज के लोगों पर लागू करें। इन कार्यों को करने वाले लोगों के समूह को पंचायत का नाम दिया गया। और इसे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए हर तरह की

स्वायत्तता ;छूटद्ध सरकार द्वारा दी गयी। नयी पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का स्थानीय स्वशासन के जरिये स्थानीय स्तर के 29 कार्यों की जिम्मेदारी दी, जो इस प्रकार हैं।

11वी अनुसूचि के विशय

1. कृषि और उससे जुड़ी चीजें।
2. भूमि सुधार और उन पर अमल करना।
3. सिचाई जल प्रबन्ध, तथा जल अच्छादन
4. पशु पालन और दूध उद्योग
5. मतस्य पालन
6. लघु वन
7. सामाजिक वन और फार्म बनोद्योग
8. लघु उद्योग
9. खादी ग्राम और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेय जल
12. इन्धन और चारा,
13. सड़कें, पुलिया, पुल, जल मार्ग तथा संचार के साधन।
14. गाँव में बिजली व्यवस्था
15. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा संबंधी कार्य
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय खुलवाना
21. सांस्कृतिक क्रिया–कलापों को बढ़ावा देना।
22. बाजार और मेलों को आयोजित करना।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता के अर्न्तगत अस्पताल और शौचालय
24. परिवर कल्याण

25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण : शारीरिक और मानसिक विकलांगों का कल्याण
27. दलितों व पिछड़ों का कल्याण
28. लोक वितरण प्रणाली

29. सामुदायिक गतिविधियों का अनुरक्षण

24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन कर *नयी पंचायती राज व्यवस्था* के नाम से *स्थानीय स्वशासन* को हरी झंडी दे दी गयी। जिसके तहत तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों का प्रावधन किया गया। तीनों स्तरों पर सीधे चुनाव की व्यवस्था की गयी और हर पाँच साल में चुनाव कराना निश्चित किया गया। सबसे खास बात यह रही कि पंचायत को संवैधनिक मान्यता मिल गयी। पंचायतें अच्छी तरह से काम करें इसका पूरा प्रबन्ध किया गया, ग्राम सभा को विशेष जिम्मेदारियाँ सौंपी गयीं जिससे सत्ता में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्ति हुयी। आरक्षण कोटे का प्रावधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों व पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी। पंचायतों द्वारा विकास कार्यों को अच्छी तरह निपटाया जा सके इसके लिये सरकार ने एक राज्य वित्त आयोग बनाया जो पंचायतों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगा और स्थानीय लोगों से यह उम्मीद की गयी कि वह अपनी स्थानीय समस्याओं, को विकास से जुड़े कार्यों कामों को पंचायत के माध्यम से स्वयं करे। अपनी समस्याओं को स्वयं

पहचाने, उनके समाधन के तरीके स्वयं खोजें, और स्वयं ही उन्हें लागू करें तभी स्वशासन के कुछ मायने हैं और गाँव का विकास संभव है।

ऐसा नहीं कि सरकार गाँव के विकास के लिये कार्य नहीं कर रही थी। सरकार पिछले पाँच दशकों से ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान दे रही थी लेकिन वह अपने इस मकसद् में विफल रही। क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक स्थानीय विकास के जितने भी प्रयास किये गये उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं थी। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सरकार की अपनी एकतरफा समझ थी। इसलिये उसने अपनी समझ के आधर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान के जो भी तरीके अपनाये वह बहुत कारगर सिद्व नहीं हुये और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही क्योंकि अभी तक की इन विकास योजनाओं में सरकार की भूमिका ज्यादा थी और लोगों की कम।

इन योजनाओं के निर्माण में भी लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। जबकि होना यह चाहिए था कि गाँव के लोग खुद अपनी समस्याएं पहचानते, स्वयं अपने साधनों संसाधनों का आंकलन करते और स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिये कारगर उपाय सुझाते। मिल बैठकर एक पूरी कार्य येाजना बनाते जहाँ जरूरी हो उसके लिए सरकारी सहायता जुटाते और स्वयं अपने निर्णयों के आधार पर अपने विकास कार्यों को पूरा करते। इसके दोहरे लाभ होते। एक तो गाँव के लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाते उनमें सामुदायिक भावना विकसित होती और सार्वजनिक कार्यों को मिल बैठकर पूरा करना सीखते। दूसरे बहुत सारे मानवीय श्रम और आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग होता और विकास कार्य ज्यादा अच्छे ढंग से सम्पन होता। यह स्वशासन की प्रक्रिया द्वारा आसानी से सम्भव है। जिसमें स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी होती है। वे अपने विकास कार्यों को स्वयं अंजाम देते हैं और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोग शामिल होते हैं। इसे

कारगर ढंग से लागू करने का सबसे बेहतर तरीका पंचायत ही हो सकती है। क्योंकि हमेशा से भारत के ग्रामीण जीवन में पंचायतें महत्त्वपूर्ण रही हैं। हमारे समाज में **पंच–परमेश्वर** जैसी कहावतें वैसे ही नहीं हैं इससे पता चलता है कि हमारे सामाजिक जीवन में पंचायतों का कितना महत्त्व था। ग्रामीण समाज में तो सही–गलत तक का फैसला पंचायतें ही किया करती थी। पाँच लोगों के उस समूह को पंचायत कहा जाता था, जो गाँव के अधिकार से जुड़े लोगों, आपसी विवादों से और गाँव के विवादों से संबंधित निर्णय लेती थी। पंचायत के निर्णय सर्वमान्य होते थे। बल्कि उन गाँव और सरपंचों की अलग ही साख होती थी जो अपनी पंचायतों को अच्छे ढंग से चलाते थे।

पंचायतों के इस पुराने महत्त्व को समझते हुए ही गाँधी जी ने इनकी जबरदस्त वकालत की थी। इन्हें गाँव समाज की आत्मा तक बताया था। उनका कहना था कि गाँव में गांव का राज हो। यानी ग्राम स्वराज हो। अर्थात् उसी स्वशासन की बात गाँधी जी ने की थी जो आज पंचायती राज व्यवस्था द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि भारत में सच्चा लोकतंत्र तभी आयेगा जब भारत के गाँव को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दिया जायेगा। स्वशासन से ही आदर्श समाज का निर्माण होगा। लोगों द्वारा स्वयं संचालित किये जाने वाली प्रणाली ही स्वशासन है जिसमें व्यक्ति एक समूह के रूप में सामूहिक हितों के मुद्दों पर मिल बैठकर विचार करें, स्वयं निर्णय लें और उन्हें लागू करें। लेकिन साथ ही यह बात भी ध्यान रखे कि हमारे हितों से जुड़े हमारे निर्णय, हमारे देश और समाज के हितों के विपरीत न हो। स्वशासन लोगों को उन हितों से जुड़े निर्णय लेने की ही स्वतंत्रता देता है जिनसे दूसरे लोगों का अहित न होता हो। इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो रहा है कि पंचायती राज और स्वशासन दोनों एक ही बात है। या यूँ कहिये कि पंचायती राज व्यवस्था स्वशासन के विचार को अमली जामा पहनाने का एक तरीका है। इसी तरह आजादी और लोकतंत्र भी स्वशासन या स्वराज का ही एक स्वरूप हैं। जब हम गाँव को

स्वशासन की प्राथमिक इकाई मानते हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र यानि सत्ता और निर्णय में लोगों की भागीदारी और स्वशासन यानी लोगों का अपना शासन। अतः देश में लोकतंत्र होने का मतलब है कि देश के लोग शासन व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुये हैं।

आदर्श स्वशासन (सुशासन) के काम

स्वशासन को आदर्श ढंग से चलाने के लिए एक निश्तिच कर्म में बढ़ते रहना जरूरी है। जिसके लिए आवश्यक है –

पहला काम :
स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखना, उनकी समस्याओं को समझना।

दूसरा काम :
इन समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करना कि क्या जरूरी है और हमारी प्राथमिकता क्या हो?

तीसरा काम :

इन समस्याओं के समाधन के लिये एक ठोस कार्य येाजना बनाना कि कौन सी समस्या कैसे दूर की जाये और कौन सी जरूतर कहाँ से पूरी की जाये। कौन से कार्य स्थानीय संसाधनों द्वारा पूरे किये जा सकते हैं।

चौथा काम :

हम अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर तय करे कि कौन से कामों को पंचायत स्वयं कर सकती है और कौन से कार्य हैं जिनके लिये बाहरी मदद जरूरी है।

पाँचवां काम :

अब यह तय करना है कि जिम्मेदारियों का सही वितरण कैसे हो ताकि सभी कार्यों को मिल–बैठ कर समय से पहले किया जा सकें। और सभी अपना जुड़ाव महसूस करें।

छठा काम :

यह निगरानी लगातार रखी जाय कि पंचायत द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की दिशा सही है या नहीं, उनका लाभ अधिकांश और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है या नहीं।

सातवां काम

पंचायत अपने कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करे और सबको बताये तथा हिसाब–किताब का पूरा ब्यौरा लिखित में मौजूद हो ताकि समाज का विश्वास जमा रहे।

इस प्रकार हमें समझ आ जाना चाहिए कि स्वशासन हमारे विकास के लिए कितना जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को स्थानीय लोगों द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। जिससे सीधे तौर पर तीन फायदे हैं।

1. **स्थानीय स्वशासन होगा ।**
2. **विकास होगा ।**
3. **सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता आयेगी।**

स्वशासन का **पहला मक़सद** है तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुये भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के चंगुल से छुटकारा पाना और विकास योजनाओं को कारगर ढंग से प्रभावी बनाना। **दूसरा मकसद** है, रुढीवादी परम्परागत समाज को आधुनिकता के जरिये नये परिवर्तनों से रूबरू कराना। **तीसरा मकसद** है लोगों को राजनैतिक सीख देकर जागरूक बनाया जाये।

स्वशासन की ताकत के कुछ उदाहरण

पहला उदाहरण :

स्वशासन के शक्ति का पहला उदाहरण मध्य प्रदेश राज्य का है जहाँ एक करोड़ से भी अधिक लोग अपने गाँव और शहर के विकास में स्वशासन के जरिये सरकार की भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी की शानदार सपफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मध्य प्रदेश में 15 महीनों में 500 नये तालाब बन गये और 21,320 तालाबों में से 3,412 तालाबों

का पूर्व उधार हो गया। इस बड़े काम में 16 करोड़ रुपये खर्च आया जिसमें 4 करोड़ स्वयं स्थानीय लोगों द्वारा जुटाया गया।

दूसरा उदाहरण :
स्वशासन की ताकत का दूसरा एहसास महाराष्ट्र की उस घटना से आप कर सकते हैं जब वहाँ कि एक महिला पंचायत सदस्य ने दहेज के मुद्दे पर महिलाओं को एकत्रा कर एक विशाल शिविर आयोजित किया और बुजुर्गों की एक पंचायत कर शराबखोरी पर अंकुश लगाने पर सफलता प्राप्त कर ली और यह तय किया कि यदि गाँव में कोई भी व्यक्ति नशे में पाया गया तो पंचायत उस पर जुर्माना करेगी।

स्वशासन के ये अनोखे उदाहरण गाँवों का कायापलट कर सकते हैं जिनसे गाँव के पुनर्निमाण का हमारा मकसद पूरा हो सकता है। गांव के पुनर्निमाण से मेरा आशय पिछड़ों को सम्पूर्णता प्रदान करने से है और ग्रामीण आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भता में वृद्वि करने से है।

आज असली चिंता यही है कि गांवों को कैसे बचाया जाय अपनी उस समृद्वा विरासत को कैसे सुरक्षित रखा जाये। उन पंचायतों की ताकत को कैसे महसूस किया जाय जो हमें दुनिया में खास बनाती थी। पंचायतों को किस तरह से चलायें कि वे विकास और स्वशासन की मिसाल बन सकें, गाँव खुशहाल बन सके, लोग स्वस्थ और शिक्षित हो सकें। उनमें आत्मनिर्भरता आये और आत्म सम्मान के साथ जिन्दगी जी सके। यह है असली मंशा पंचायती राज और स्वशासन की। इसके लिये जरूरी है **सहभागिता, सामाजिक समता**, **पारदर्शिता, आर्थिक विकास** और इन सब के लिये उचित **शिक्षण–प्रशिक्षण**। ये पंचायत के पाँच तत्व, इन्हीं से पंचायत राज **स्वराज** बनेगा और

स्वशासन **सुशासन** बनेगा। समाज राजनैतिक प्रशिक्षण के पहले दौर से गुजर रहा है। अभी पंचायतों को एक दशक भी नहीं हुआ है। अब वे जिस दिशा को पकड़ लेंगी उसी तरफ बढ़ती चली जायेंगी। अब यदि हमने स्वशासन के असली मर्म को समझ लिया और पंचायतों ने उस मकसद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो विकास लोक आधारित होगा। अभी तो एक संशोधन मात्र से 838227 ग्राम पंचायत स्तर पर, 47455 पंचातय समिति स्तर पर, 4923 जिला परिषद स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और हर एक स्तर पर एक तिहाई महिलाएँ सत्ता पर आई हैं। तब पंचायती राज हमारे जीवन का अहम अंग होगा और ग्रामसभा लोकसभा होगी। स्वशासन ग्रामीणों के जीने की एक दृष्टि होगी।

स्वशासन के जरिए स्थानीय लोग अपनी अनेक समस्याओं से निजात पा सकते हैं विकार के लिए गाँव को मिला पूरा धन अपनी इच्छा से जरूरतमंद क्षेत्रों में लगा सकते हैं, शोषण से छुटकारा पा सकते हैं, गांव की गरीबी को दूर कर सकते हैं क्योंकि जब हम स्वयं गाँव की गरीबी का कारण ढूंढेंगे तो तभी उससे निजात पाने के रास्ते भी खोजेगे सब मिल–बैठकर यह सोचेंगे कि अमीर क्यों अमीर हैं और गरीब क्यों गरीब हैं।

ग्राम सभा

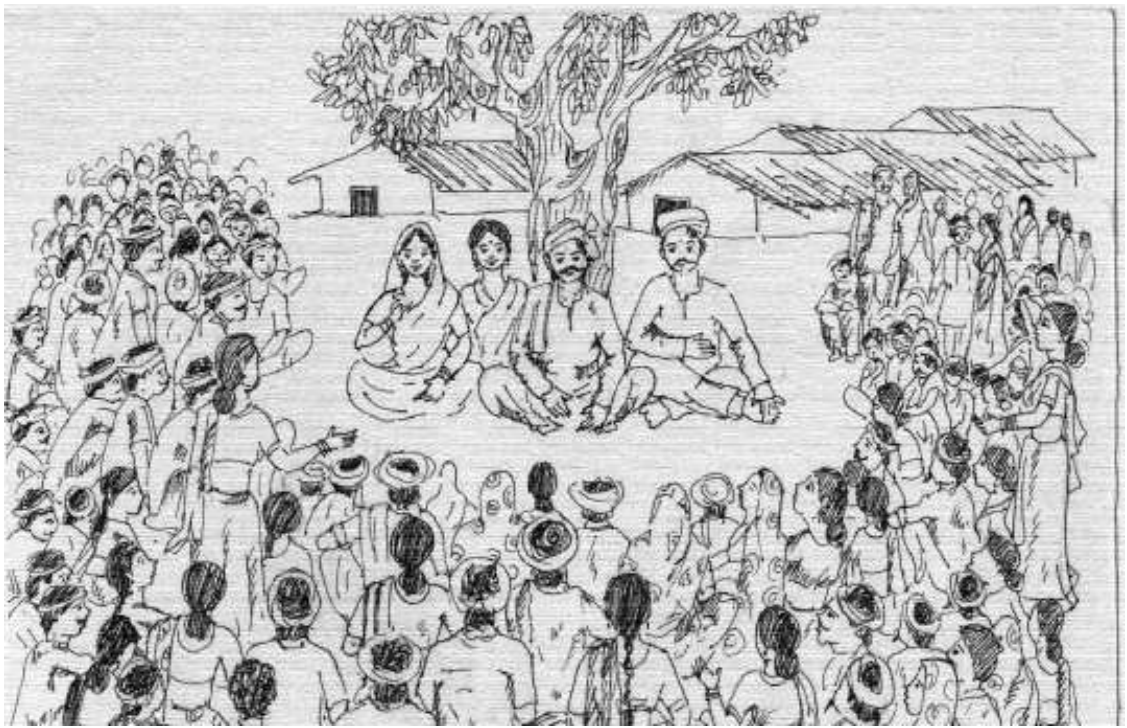

भारत गांवों का देश है। यह सच्चाई है कि असली भारत गांव में बसता है। देश की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है और खेतीबाड़ी करती है। इसलिए गांव का विकास पहली शर्त है। भारत में गांव के रूप भी अनेक है। कहीं छोटे–छोटे गांव के टोले हैं तो कहीं बड़े विशाल गांव भी है। सरकारी तौर पर ग्रामीण इलाको को राजस्व गाँवों (रिवेन्यू ग्राम) में बांटा गया है। गांव में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी है। पंचायत व्यवस्था की नींव का पत्थर गांव है और गांव की नींव का पत्थर है हर एक वोटर (मतदाता) जो मिलकर उस गांव की ग्राम सभा को बनाता है। ''**ग्राम सभा**'' लोकतंत्र की पहली पाठशाला है जहाँ व्यक्ति मेलमिलाप से लेकर अपने गांव समाज के विकास की तरफ बढ़ता हुआ देश के बारे में सोचता है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की सपफलता की कुंजी हैं। हमारी ग्राम सभाये जितनी परिपक्व होगी, जितनी जागरूक होगी पंचायते उतनी ही सपफलतापूर्वक काम कर सकेगी। इस प्रकार '**ग्राम सभा**' पंचायती व्यवस्था का बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है।

ग्राम सभा क्या है?

ग्राम सभा का तात्पर्य गांव में रहने वाले उन सब लोगों से है जो वोट डाल सकते हैं। 'ग्राम पंचायत' वह समूह है जो चुनाव में चुनकर आये है और ग्राम सभा वह समूह है जिनके द्वारा ये चुने गये है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक लोगों द्वारा वोट डालकर ही नेता चुने जाते हैं और उन्हें अधिकार दिये जाते है चाहे वह गांव का एक प्रधान है और चाहे देश का प्रधानमंत्री। इसलिए लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है जनता जब चाहे जैसी चाहे अपने नेताओं से, अपनी सरकार से मांग

कर सकती है। गांव की सरकार ग्राम पंचायत चलाती है। ग्राम स्तर पर अधिकार ग्राम पंचायतों के हाथ में है। यानि कि गांव के मतदाताओं (लोगों) के हाथ में है। इसलिए ग्राम सभा को अपनी ताकत का अहसास होना चाहिए। वह ग्राम पंचायत से कोई काम कराने और कोई भी पूछताछ करने का पूरा अधिकार रखती है। ग्राम सभा गांव स्तर पर सबसे शक्तिशाली समूह है क्योंकि उससे गांव का हर समझदार व्यस्क नागरिक जुड़ा होता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि गांव का हर वो सदस्य जो वोट डालने का अधिकार रखता है वह अपने आप **ग्राम सभा** का सदस्य है और उसे ग्राम पंचायत से सब कुछ जानने का अधिकार और सहयोग करने का कर्त्तव्य है।

ग्राम सभा से ग्राम पंचायत का रिश्ता

ग्राम सभा में एक निश्चित जगह में रहने वाले वे सब लोग होते हैं जो वोट डालते है और ग्राम पंचायत उनके द्वारा बनती है जो गांव के लोगों (मतदाताओं) द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा एक बड़ा समूह है जिसमें गांव के सभी वोट का अधिकार रखने वाले लोग शामिल हैं। ग्राम पंचायत छोटा समूह है जो गांव वालो के द्वारा चुना गया है। ग्राम सभा एक सच्चे लोकतंत्र का एक उदाहरण है जबकि ग्राम पंचायत चुने हुए लोगों का एक निकाय है। जिसे कुछ अधिकार दिये गये है। ग्राम सभा के पास उससे कही ज्यादा अधिकार होते हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार और सहायताऐं ग्राम सभा की सेवा करने के लिए मुहैया करायी जाती है। यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह उन सब विकास कार्यों को कराये तथा ग्राम सभा का यह अधिकार है कि वह उन सब फायदों को ले जो उसके लिए सरकार द्वारा दिये जा रहे है।

ग्राम सभा की (बैठक) मीटिंग

किसी भी ग्राम सभा के लिए मीटिंग सबसे खास कार्यवाही है। ग्राम सभा की सपफलता और असफता इस बात से तय होती है कि उस गांव की ग्राम सभा कितनी सफल मीटिंग कर पाती है। मीटिंग की सफलता मीटिंग की तारीख और स्थान निश्चित करने से लेकर उसमें होने वाली बातचीत के एजेण्डे और उस पर होने वाले अमल तक पर निर्भर करती है। ग्राम सभा की बैठकों को सफल बनाने के लिए बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखे। जैसे कि –

1. बैठक कब बुलायें

ग्राम सभा की बैठकें कब बुलायी जाय यह गांव के सब लोगों को ध्यान में रखकर तय हो और सब मिलकर निर्णय ले। ग्राम सभा की बैठक ऐसे मौसम में बुलानी चाहिए जब गांव के अधिक से अधिक लोग बैठक में हिस्सा ले सके। ग्राम सभा की बैठक का समय भी ऐसा रखा जाय जब सभी आ सके यानि की रात में न रखे। दिन में ऐसा कोई समय रखे जब बैठक में महिलायें भी अधिक से अधिक संख्या में शरीक हो सके। बैठक का समय काम का समय न हो इस बात का भी ध्यान रखा जाय। ग्राम सभा की सालाना बैठक 31 मार्च से तीन महीने पहले होनी जरूरी होती है। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बैठकें बुलाना जरूरी है। ये बैठकें तीन महीने से अंतराल से

बुलानी चाहिए। बैठकों की तारीख अलग–अलग राज्यों में अलग है जो राज्य सरकारों द्वारा तय की गयी है। सूची अन्तिम पृष्ठ में है।

2. ग्राम सभा की बैठक की सूचना का तरीका

ग्राम सभा की बैठक की सूचना कम से कम दो हफते पहले दी जानी जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रहे कि गांव के अधिक से अधिक पुरुष और महिलाओं को बैठक की सूचना हो जाय। बैठक की सूचना के समय यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बैठक में किन–किन मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक की सूचना के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे कि –

- ☞ बैठक की सूचना हाथ से लिखकर कुछ खास–खास सार्वजनिक स्थानों पर चिपकायी जा सकती है जिसमें **बैठक का समय व स्थान** दूर से सापफ नजर आये। सूचना चिपकाने के स्थान जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकघर, गांव का बैंक या अन्य कोई ऐसी जगह जैसे चौराह या दुकान हो सकती है। जहां अधिक लोग इकट्ठा रहते हैं।
- ☞ बैठक की सूचना गांव में बुनादी (डोंडी पिटवाकर) कराकर दी जा सकती है।
- ☞ ग्राम सभा की बैठक की सूचना घर–घर जाकर भी दी जा सकती है। बैठक बुलाने का अधिकार गांव के प्रधान या उपप्रधान को ही है।

3. ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही

ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाहीयाँ क्रमवार होनी चाहिए। एक के बाद एक कार्यवाही करनी चाहिए। बैठक को सही ढंग से चलने के लिए ये काम जरूरी है। ग्राम सभा ही यह तय करेगी कि कौन से मुद्दो पर पहले चर्चा होगी और कौन से मुद्दों पर बाद में होगी।

ग्राम सभा में कैसे कार्य किया जाऐ

पहला काम

ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही शुरू करते समय सबसे पहले ध्यान देना होता है कि बैठक का कोरम पूरा हुआ है या नहीं। यानि की बैठक होने लायक लोगों की संख्या आ पायी या नहीं। गांव की सभा के लोगों का दसवां हिस्सा होना जरूरी है यानि की यदि 1000 लोग है तो कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति जरूरी है। यदि इतनी संख्या नहीं है तो बैठक नहीं हो पायेगी।

दूसरा काम

यदि संख्या पूरी है तो बैठक को शुरू किया जाता है। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान या उपप्रधान करेगे। बैठक की सभी कार्यवाही अध्यक्ष की मौजूदगी में ही होगी। ग्राम प्रधन या उपप्रधान को बैठक की अध्यक्षता के लिए इसलिए चुना जाता है कि ग्राम पंचायत की सभी सूचनायें इनके पास

होती है। अध्यक्ष बैठक में यह ध्यान रखे कि गांव के गरीब लोगों और महिलाओं को भी अपनी बात कहने का मौका मिले।

तीसरा काम

अब बैठक की विधिवत् कार्यवाही शुरू होती है पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सबको सुनाया जाता है। उसकी पुष्टि की जाती है। यदि क्षेत्रा पंचायत और जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत को कोई काम सौंपा है तो उसके बारे में ग्राम सभा के सामने बातचीत की जायेगी।

चौथा काम

अब उन सब बातों पर चर्चा की जायेगी जिनके लिए मीटिंग बुलायी गयी है। अब जिन मुद्दों की सूचना लोगों को दी गयी थी यानि कि आज की मीटिंग के एजेण्डे पर चर्चा होगी।

पांचवा काम

इस अंतिम काम को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पूरी मीटिंग की चर्चा और कार्यवाही का ब्यौरा साफ–साफ रजिस्टर में लिखा जायेगा। मीटिंग की पूरी कार्यवाही की एक नकल एक हफते के भीतर–भीतर सहायक विकास अधिकारी या बी.डी.ओ. को सौंपना जरूरी है। पंचायत समिति का

विकास अधिकारी या कोई नामित अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा और बैठकों का लेखा–जोखा रखेगा और सभी कार्यवाईयां लिखित में पंचायत को सूचित करेगा।

सालाना बैठक में पंचायत ने क्या किया यह पेश किया जायेगाः ग्राम सभा की एक सालाना बैठक भी होगी जो 31 मार्च से कम से कम एक महीना पहले बुलायी जायेगी।

ग्राम सभा की सालाना (वार्षिक) बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के लिए सभी जानकारियों का खुलासा करना जरूरी है। यह विस्तार से बताया जाना जरूरी है कि साल में क्या–क्या काम किया गया है और किस मद पर कितना खर्च किया गया है या कौन–कौन सी योजनाऐं लागू की गयी है। कौन सी नहीं की जा सकी है और क्यों नहीं की जा सकी उसका कारण भी। पूरे वर्ष का आय व्यव का ब्यौरा भी पेश करना होता है। वर्ष के कुछ प्रमुख प्रस्ताव और उन पर हुआ अमल भी बताना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते है कि ग्राम पंचायत द्वारा किये गये सभी कार्यों की जानकारी तथा पंचायत का बजट पेश करना वार्षिक बैठक की मुख्य कार्यवाही होती है।

ग्राम सभा को सक्रिय करने के तरीके

ग्राम सभा की बैठकों को ठीक ढंग से चलाने के लिये कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ प्रयास कम समय के होंगे तो कुछ लम्बे समय तक लगातार करने पड़ेंगे। ग्राम सभा की बैठकों को ठीक से चलाने के लिये कई तरह के प्रयास कई लोगों के साथ करने पड़ेंगे। यानी केवल ग्राम सभा के

सदस्यों के साथ काम करने से ही बात नहीं बनेगी। ग्राम सभा के बाहर के लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा।

ग्राम सभाओं की बैठकों के बारे में सोचते वक्त हमें विचारना होगा कि किन–किन लोगों का ग्राम सभा पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है। हम यह भी देखेंगे कि ग्राम सभाओं की बैठकों को ठीक ढंग से चलाने के लिये ज़िम्मेदार लोगों को अपना काम पूरा करने में क्या–क्या दिक्कतें आ रही हैं। और उन्हें ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं।

ग्राम सभा की बैठकों को ठीक ढंग से चलाने वाले कामों की पहचान के बाद हम उन कामों को करना षुरू कर देंगे। बाहरी सहयोग की ज़रूरत वाले कामों के लिये विषेष प्रयास किये जायेंगे। अब हम किये जा सकने वाले प्रयासों की बात करते हैंः

ग्राम सभा की बैठक कैसे बुलायें?

सचिव और सरपंच मिलकर ग्राम सभाओं की बैठकें बुलाते हैं। इनके लिये बैठक बुलाना इसलिये भी ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें ग्राम सभा से जुड़े कुछ न कुछ सरकारी काम करने पड़ते हैं– जैसे ग्राम सभा की जानकारी भेजना, प्रस्ताव बनाना आदि। अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिये बैठक बुलाना ही पड़ता है। लेकिन गांव के लिये, लोगों के लिये ग्राम सभा का महत्व अलग है। इसीलिये बैठक का समय गांव वालों से पूछकर निष्चित करना चाहिये। समय तय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हैः

- समय ऐसा हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें।
- बैठक का समय ऐसा हो कि पुरूषों के साथ महिलायें भी आ सकें। समय ऐसा हो जब चौका–चूल्हे, खेत पानी का काम न करना हो।
- बैठक का दिन भी खूब सोच समझकर रखना चाहिये। उस दिन हाट बाज़ार, तीज त्यौहार का दिन न हो। दिन ऐसा हो जिसमें सबको सुविधा हो। गांव में रामलीला, प्रवचन, कीर्तन आदि जैसा किसी प्रकार का उत्सव या कार्यक्रम न हो। या अगर उत्सव कार्यक्रम के दिन आना सम्भव है तो उस दिन भी रख सकते हैं।

ग्राम सभा सदस्यों की तैयारी क्यों ज़रूरी है?

ग्राम सभाओं की बैठकों को अच्छे ढंग से चलाने के लिये ज़रूरी है उसकी अच्छी तैयारी। तैयारी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी बैठकें चलेंगी। अब सवाल है कि किसकी तैयारी करें। सबसे पहले ज़रूरी है मतदाताओं को पता होना कि आज क्या बात होनी है। जो बात होने वाली है उसके बारे में पहले से सोच–विचार कर आयें। चर्चा में अपने–अपने सुझाव दें। जिन सदस्यों को होने वाली किसी चर्चा के बारे में और ज़्यादा जानकारी है उसे वे ग्राम सभा में बतायें। बैठक में जहां बोलना ज़रूरी है वहां ज़रूर बोलें। जहां सहमति है वहां उसे जतायें और जहां सहमति नहीं है वहां सहमत न होने के अपने कारण बतायें ताकि और लोग भी बात को समझ सकें। इससे बैठकों के अच्छे ढंग से चलने में मदद मिलेगी।

- लेकिन इसके लिये उन्हें तैयार करना पड़ेगा, उनकी छोटी–छोटी बैठकें करके तैयारी करानी पड़ेगी।
- छोटी–छोटी बैठकों में अपने मुहल्ले और गांव की ज़रूरतों को पहचानें, उसके निदान के उपाय सोचें। अपनी तरफ से अपने मुहल्ले की और गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये क्या मदद कर सकते हैं। इन बातों को लोगों के साथ चर्चा करके तय कर लें ताकि ग्राम सभा की बड़ी बैठक में समय बचे। और कम समय में ज़्यादा व अच्छा काम किया जा सके।
- जो पंच, समिति सदस्य जिस मुहल्ले में रहते हैं वहां पर लोगों को इकट्ठा कर लोगों की तैयारियां करा सकते हैं।

ठोस एवं सही प्रस्ताव कैसे बनायें?

अभी गांव में जो प्रस्ताव बनते हैं उसमें किसी भी आदमी को नाराज़ नहीं करने की वजह से जैसा मन में आता है वैसा प्रस्ताव बना देते हैं। जिस भी काम की ज़रूरत महसूस होती है उसे मांगने का एक प्रस्ताव बना दिया जाता है। लोग सोचते ही नहीं है कि जो प्रस्ताव बनाया वह काम कैसे पूरा होगा? और कहां से होगा? उसके लिये पैसा कहां से आयेगा? जो हमारी ज़रूरत है वह किस विभाग की कौन सी योजना से पूरी हो सकती है? उसमें और कौन–कौन मदद कर सकता है? कहां जाये किससे बात करें? बस ज़रूरत लगी और प्रस्ताव बना। जब इन मांगने वाले प्रस्तावों पर काम नहीं हो पाता तो लोग कहते हैं पहले के ही काम नहीं हुये अब फिर से मीटिंग करने से क्या फायदा। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि उन्होंने जानकारी और साधनों के अभाव में जो प्रस्ताव

बना दिये उसे पूरा करना सम्भव नहीं है। इसीलिये प्रस्ताव बनाने से पहले यह सोचना समझना ज़रूरी है कि यह काम कैसे पूरा होगा? कहां से होगा? इसके लिये और क्या काम करना पड़ेगा? असल में प्रस्ताव तो होता ही उसी बात का है जो हम खुद से पूरा कर सकें। जो हम पूरा नहीं कर सकते और चाहते हैं कि काम हो उसके लिये तो हम किसी से मदद मांगनी पड़ेगी जब मदद मांगेंगे तो वह हमारा मांग पत्र होगा और ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे जो मांगे वह हमें मिल जाये।

गांव की समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता। या जितनी भी ज़रूरतें लोगों के साथ बातचीत करने पर निकलकर सामने आती हैं उन सबको एक साथ एक समय में पूरा करना हो सकता है सम्भव नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि सम्भव होने पर भी ज़रूरी नहीं हो। कई ज़रूरतें बहुत ज़रूरी नहीं होतीं। लेकिन कुछ ज़रूरतों का उसी समय या एक निष्चित समय में पूरा हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिये हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि किन ज़रूरत पर पहले काम करें और किन पर बाद में। प्रमुख समस्याओं के चयन में इन बातों का ध्यान रखने से हमें मदद मिलेगीः

- हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं।
- हमारी अपनी क्षमतायें कितनी हैं? हमारे पास क्या–क्या साधन, सुविधायें हैं?
- जो काम करना है उसमें बाहरी मदद की क्या ज़रूरत है?
- हमारी मदद और बाहरी सुविधाओं को मिलाकर भी काम पूरा होगा या नहीं।
- अभी तत्काल किस काम का पहले होना ज़रूरी है।
- समस्या कितनी गम्भीर है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है।

- पूरा नहीं होने पर कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान बढ़ता जायेगा।

हम प्रमुख समस्याओं को पता करने में चार बातों को ध्यान रखें तो हमें मदद मिलेगी। पहले क्या ज़रूरी है? किसके लिये ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है? और कब ज़रूरी है? बस इसी तराजू पर सबको तौल लें फिर जिस समस्या या ज़रूरत का पलड़ा भारी दिखे उसका पहले समाधान करने की कोषिष करें।

इसीलिये हम गांव के लोगों से समस्याओं पर बात करते समय उनके साथ योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि कौन हमारे सुविधा की चीज़ें हैं और कौन हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं क्योंकि कम साधनों, कम पैसों में पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर लेने में ही समझदारी है।

ग्राम सभा के प्रमुख कार्य

ग्राम सभा जितना अधिकारों का समूह है उससे ज्यादा जिम्मेदारियों वाला भी है। ग्राम सभा के कुछ अधिकार है तो कुछ जिम्मेदारियां भी है। ग्राम सभा के कार्यों पर ही सब कुछ दारोमदार रहता है। ग्राम सभा का असली मकसद है गांव स्तर पर **हम की भावना** को मजबूत करना। गांव वाले मिल बैठकर बातचीत के जरिये, समझौते के जरिये अपनी समस्याओं को खुद सुलझाये। अपना विकास खुद करे। इस सोच को मजबूत करने के लिए सरकार ने ग्राम सभाओं को अधिकार दिये। यहां तक कहा कि गांव के लोग खुद योजना बनाये, स्वयं निर्णय ले, उन्हें लागू करे, और स्वयं ही उन पर निगरानी रखे और उनकी देखभाल करे। नयी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा कई समितियाँ बना सकती है जैसे कि –

1. ग्राम विकास समिति
2. सार्वजनिक संपदा समिति (पंचायती सम्पत्ति के लिए)
3. कृषि समिति (खेती सम्बन्धी मामलों के लिए)
4. स्वास्थ्य समिति
5. ग्राम रक्षा समिति
6. शिक्षा समिति
7. सामाजिक न्याय समिति (सभी का लाभ मिले है या नही (बच्चे, बूढ़े, महिला, दलित)
8. अधेसंरचना समिति–सड़क, पानी, स्कूल, सापफ सपफाई वातावरण सम्बन्धी कामों के लिए।

ग्राम सभा 'ग्राम कोष' नाम से समिति बना सकती है जिसमें होगे –

(1.) अन्न कोष

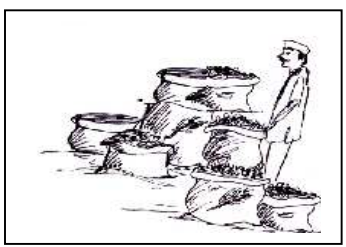

(2.) श्रम कोष

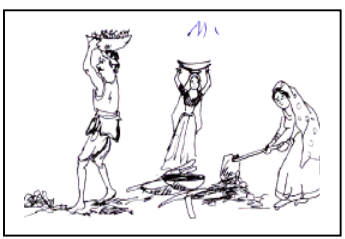

(3.) वस्तु कोष

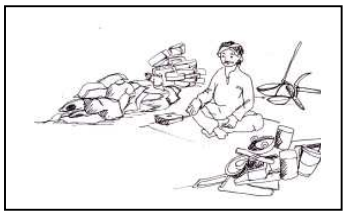

(4.) नकद कोष।

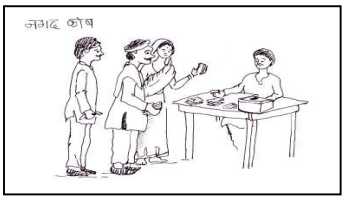

इसका मतलब है कि गांव के स्तर पर जो जिस तरह की सहायता करने लायक है वह उस तरह की सहायता देकर गांव के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अपनी पफसल का कोई हिस्सा दे सकता है। कोई काम करवा कर श्रम दान कर सकता है या उसके पास कोई वस्तु है साधन है वह दे सकता है जैसे कि मशीनरी (ट्रैक्टर आदि) वाले मशीनरी देकर सहायता कर सकते है और पैसे वाले लोग नकद पैसा देकर योगदान कर सकते है। इस प्रकार ग्राम सभा की बड़ी जिम्मेदारियाँ है। वह जैसे चाहे गांव विकास के लिए फैसला कर सकती है। अन्य तरीकों से भी गांव के लिए धन जुटा सकती है। किसी भी तरह के कर (टैक्स) लगाकर पैसा जमा कर सकती है या स्वेच्छा अथवा कुछ निश्चित कर धनराशि ले सकती है और ग्राम विकास के कार्यों पर खर्च कर सकती है। ग्राम सभा और भी बहुत कार्य कर सकती है जैसे कि –

1 गांव समाज के कार्यों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।

2 यह निगरानी रखना कि लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं। गांव के गरीब तबको को फायदा हुआ है या नहीं और महिलाओं को भी लाभ पहुंचा है या नहीं।
3 विकास योजनाओं (स्कीमों) को लागू करने में पंचायत की सहायता करना।
4 समय–समय पर गांव की वोटर–लिस्ट में बदलाव करना व सबका ध्यान रखना।
5 लोगों के आपसी तनावों को कम करना, सभी के लिए एकता व मेलमिला का वातावरण बनाना।
6 गांव में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना तथा स्वास्थ सम्बन्धी व्यवस्थायें करना।
7 समाज कल्याण और गांव हित के कार्यो को बढ़ावा देना।
8 गांव स्तर पर स्वशासन की सोच को मजबूत करना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
9 ग्राम पंचायत पर निगरानी रखना उसके कार्यों की समीक्षा करना।
10 गांव सम्बन्धी कोई भी निर्णय सबकी सहमति से हो इसका ध्यान रखना।
11 पंचायतों के हिसाब–किताब तथा उनके खर्च पर भी ध्यान रखना।
12 गांव के हुनर और विशेषताओं की रक्षा करना, स्थानीय पहचान को कायम रखना।

ग्राम सभा के अधिकार

अर्थात् ग्राम सभा का मजबूत होना क्यो जरूरी है?

ग्राम सभा के अधिकारों का दायरा बहुत व्यापक है। अधिकारों को देखने से लगता है कि शायद अभी ग्राम सभाओं को अपनी ताकत का अहसास हुआ ही नही। ग्राम सभा जो चाहे वो कर सकती

है। ग्राम पंचायत के कार्यों में किसी भी तरह की खामी पर ग्राम सभा उन्हें तलब कर सकती है। 7यहां तक कि ग्राम पंचायत के चुनावों की मांग कर सकती है। ग्राम सभा को पंचायत के सदस्यों के खिलाफ **अविश्वास प्रस्ताव** लाने का भी अधिकार है। ग्राम सभा के 1/5 भाग के लिखित हस्ताक्षर प्रधन या किसी भी पंचायत सदस्यों को हटने की मांग कर सकते है। ग्राम सभा के कुछ सामान्य अधिकार इस प्रकार है –

1 सभी को मीटिंग में भाग लेने का अधिकार है।
2 पंचायत द्वारा कराये गये किसी भी काम की सूचनाऐं लेने का अधिकार
3 विकास योजनाओं को अपने ढंग से लागू करने का अधिकार।
4 जरूरतमंद लोगों को सीधे लाभ देने का अधिकार है।
5 कोई भी ग्राम सभा सदस्य ग्राम पंचायत सचिव से ग्राम सम्बन्धी कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार रखता है वह उसे एक हफ्रते के अन्दर देनी होगी।
6 लोग स्थानीय स्तर पर सबकी सहमति से ग्राम सभा क्षेत्र में टोले (माजरो) के आधार पर **ग्राम सभा** का गठन कर सकते।
7 ग्रामीण विकास के लिए स्वयं समितियां का गठन कर सकते हैं।

ग्राम सभा द्वारा कुछ ध्यान रखने योग्य बात

चूंकि ग्राम सभा का ओहदा सबसे ऊपर है इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी सबसे अधिक है और अहम् है। ग्राम सभा को जो अधिकार दिये गये है वे यही सोच कर दिये गये है न कि वह इनका गलत इस्तेमाल करे या पंचायतों को परेशान करे, रोज उनके खिलापफ अविश्वास प्रस्ताव लिए खड़ी रहे। ग्राम सभा उन जिम्मेदार और समझदार लोगों द्वारा चलती है। जिनमें पूरे गावं की आस्था होती है और जो गांव में एक खुशनुमा माहौल रखना चाहते है। ग्राम सभा के हर फैसले में उनकी समझदारी झलकनी चाहिए। ग्राम सभा को सकारात्मक सोच से ही कार्य करने चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों या बिल्कुल आपात स्थितियों में ही सख्त कदम उठाने चाहिए।

अविश्वास प्रस्ताव की नौबत बिल्कुल आखिर में आनी चाहिए, जब कोई चारा ही न बचे। इसके लिए भी विधिवत् कानूनी तरीके से चलना चाहिए। ग्राम सभा की साधरण बैठक बुलाये और कम से कम 1/5 लोगों के हस्ताक्षर कराये तथा वे कारण स्पष्ट लिखे जाए जिनके कारण ग्राम सभा प्रधान/ उपप्रधान या किसी सदस्य को हटाना चाहती है। यह लिखित मांग **जिला पंचायत अधिकारी** को दी जाए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए वह एक माह के अन्दर–अन्दर मीटिंग बुलायेगा और प्रस्ताव रखेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यह भी जरूरी है कि चुनाव को कम से कम दो साल का समय बीत गया हो। यदि अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग से गिर जाता है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक साल तक कोई भी मीटिंग नहीं बुलायी जा सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे जो गांव के अमन चैन के लिए खतरा बन सकते है उन्हें मीटिंग में हरगिज न उठाया जाय।

ग्राम सभा की बैठक में सब बातों का ध्यान रखा जाय जैसे कि सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले। किसी की बात को दबाया न जाय। बैठक में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाए।

बैठक के समय का ध्यान रखा जाए। बैठक को चलाने के ढंग का और उसमें लिये गये निर्णयों के पालन का ध्यान रखा जाये।

मध्यप्रदे□ा में ग्राम सभा की व्यवस्था

ग्राम सभा पर यह विस्तृत चर्चा मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को को आधार बनाकर की गई हैं किन्तु स्थान–स्थान पर या बॉक्स बनाकर यह कोशिश की गई है कि अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी स्वरूप पेश किया जाए। चूंकि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की मूल व्यवस्था के भीतर थोड़े–थोड़े अंतर है। अतः किसी एक राज्य को लेकर चर्चा शुरू करनी पड़ेगी तथा उसी के सापेक्ष अन्य राज्यों की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। अतः इस पाठ को पढ़ते समय तथा उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।

अब एक पंचायत में आने वाले प्रत्येक गांव की चाहे वह राजस्व हो या वन ग्राम, एक ग्राम सभा होगी। गांव का प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा सदस्य होगा। मतदाता का मतलब है गांव का वह रहवासी (स्त्री–पुरूष) जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज है। यानी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है।

प्रत्येक ग्राम सभा की अपनी सील होगी।

- ग्राम सभा का अपना उत्तराधिकार होगा।
- ग्राम सभा अपने नाम से लोगों व संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चला सकती है।

- ग्राम सभा के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।
- ग्राम सभा अपने नाम से संपत्ति अर्जित कर सकती है (बना सकती है) तथा बेच सकती है।
- ग्राम सभा अपने नाम से लोगों एवं संस्थाओं के साथ अनुबंध कर सकती है।

ग्राम सभा की सूचना

- ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना ग्राम सभा के सदस्यों को सात दिन पहले देना ज़रूरी है।
- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, बैठक का समय, बैठक की तारीख बताना ज़रूरी है।
- बैठक में जिन विधियों/मुद्दों पर चर्चा होनी है उन्हें बताना भी ज़रूरी है।
- इन बातों को लिखकर सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया जाये। कागज़ पर सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये।
- ग्राम सभा की सूचना गांव में डोंडी पिटवाकर भी दी जायेगी ।

ग्राम सभा का एजेण्डा

ग्राम सभा अपनी हर बैठक में आगे की ग्राम सभा के लिये समय, बैठक का स्थान, तारीख और मुद्दों को तय करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी तरफ से ग्राम सभा में किसी विषय पर चर्चा करनी है तो ग्राम सभा के सभापति की अनुमति से उसपर चर्चा की जा सकती है। इसके लिये ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम सभा की सूचना जारी होने के तीन दिन के अन्दर लिखित रूप में अपने विषय से संबंधित सूचना ग्राम सभा के सचिव को देनी होगी।

ग्राम सभा का कोरम

ग्राम सभा की बैठक में कुल मतदाताओं के बीस प्रतिशत (अर्थात सौ में से बीस) लोगों का होना ज़रूरी है। मान लो किसी गांव में एक हज़ार (1000) मतदाता हैं तो कम से कम दो सौ (200) लोगों का बैठक में आना ज़रूरी है। इतनी संख्या न होने पर ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती।

ग्राम सभा की अध्यक्षता

ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच या उनकी गैरहाज़िरी में उपसरपंच करेंगे। यदि दोनों उपस्थित नहीं हैं तो बैठक में हाज़िर लोग बहुमत से किसी पंच को अध्यक्षता के लिए चुन लेंगे।

- ग्राम सभा यह तय करेगी कि किन मुद्दों पर पहले चर्चा होगी और किन मुद्दों पर बाद में।
- अध्यक्ष सब को बराबरी से अपनी बात कहने का मौका देंगे। इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि औरतें और गरीब वर्ग के लोग अपनी बात कह पायें।

ग्राम सभा का सचिव

- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा। ग्राम सभा का सचिव अब ग्राम सभाओं के नियंत्रण में रहेगा। जब भी सचिव को लेकर कोई विवाद होगा तो पंचायत की सभी ग्राम सभाओं की बैठक में वह विवाद हल होगा ।

- सचिव की भूमिका पंचायत और ग्राम सभा में एक सहयोगी की होगी। वह पंचायत के सभी कामों को करने में मदद करेगा। उसका काम है कि वह पंचायत के सभी दस्तावेज़ (कागज़ात) तथा अभिलेख (रिकार्ड) ठीक से तैयार करे व उन्हें रखे।
- ग्राम सभा के सदस्य द्वारा पंचायत के बारे में कोई जानकारी मांगे जाने पर उन्हें पंचायत की सभी जानकारी दे।
- ग्राम पंचायत की मासिक बैठक कराने व उसे चलाने में सरपंच को सहयोग दें।
- स्थायी समितियों की बैठक कराने में समिति को मदद करे।
- ग्राम सभा की बैठक कराने व बैठक की सूचना सभी तक पहुंचाने में पंचायत की मदद करे।
- पंचायत की वार्षिक योजना, बजट व लेखा संबंधी दस्तावेज़ तैयार करे और इन्हें ग्रामसभा की सालाना बैठक में रखे।
- जनपद तथा ज़िला पंचायत से तालमेल बनाए।
- तय किये गये समय के अनुसार प्रतिदिन ग्राम पंचायत का कार्यालय खोले।

ग्राम सभा की पहली बैठक

अधिनियम में संशोधन के बाद ग्राम स्वराज के अनुसार गठित ग्राम सभा की पहली बैठक को बुलवाने की ज़िम्मेदारी सरपंच को दी गयी है। इसके बाद की बैठकों को बुलवाने का समय, स्थान एवं तारीख ग्राम सभा स्वयं तय करेगी। यहां यह ध्यान देना ज़रूरी है कि हर महीने ग्राम सभा की एक बैठक बुलाना ज़रूरी है।

प्रारूप – 1
नियम चार (1) देखिये
ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि ग्राम सभा की बैठक नीचे लिखे स्थान, तारीख तथा समय पर होगी ।
बैठक का स्थान ———————— तारीख ————

समय ————

ग्राम सभा के सभी सदस्य जिनके नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में हैं बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए कम से कम ———— सदस्यों का होना जरूरी है । यदि बैठक में ———— सदस्य नहीं आयेंगे तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी और स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधा घंटे बाद फिर से होगी । यदि इसमें भी ——— सदस्य नहीं आते तो बैठक नहीं होगी । बैठक तभी होगी जब ——— इतने सदस्य आयेंगें । बैठक हो सके और गांव के जरूरी काम न रूक जायें इसलिए बिनती है कि अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बैठक में जरूर आने की मेहरबानी करें ।
बैठक में नीचे लिखे विशयों पर विचार करके फैसला लिया जायेगा ।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

यदि कोई सदस्य उपर लिखे विशय के अलावा भी बैठक में किसी और विशय पर चर्चा करना चाहें तो सभापति की अनुमति से उस विशय पर भी चर्चा हो सकेगी । इसके लिये उस सदस्य के लिये (अपनी बात या सुझाव जिसकी वह बैठक में चर्चा करना चाहते हैं) लिखकर यह सूचना जारी होने के तीन दिन के भीतर ग्राम सभा के सचिव को देना होगा ।

हस्ताक्षर

सचिव, ग्राम सभा

ग्राम सभा की समितियां

ग्राम सभा में अब बदले हुये नियम के अनुसार दो समितियां बनेंगी। पहली समिति ग्राम विकास समिति और दूसरी समिति ग्राम निर्माण समिति होगी। ग्राम निर्माण समिति का कार्य ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले निर्माण के सभी काम कराना होगा। जबकि ग्राम विकास समिति का काम निर्माण के अलावा विकास के जितने सारे काम हैं उन सभी कामों को ग्राम सभा की स्वीकृति से करना होगा।

(समितियों को बनाने और उनके काम से जुड़ी बातें अभी प्रक्रिया में है। इसीलिये इस किताब में उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी लगातार इस प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहे हैं। जब पूरी तरह निर्णय हो जायेगा तब एक छोटी सी पुस्तिका उन परिवर्तनों के बारे में फिर से लिखने की कोशिश करेंगे।)

ग्राम सभा की आय

ग्राम सभा की आय मुख्य रूप से दो साधनों से होगी। पहला, ग्राम सभा अपने साधनों से आमदनी करेगी। जिसमें सहयोग, दान और टैक्स लगाना शामिल होगा और दूसरा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली राशि होगी।

ग्राम सभा की जो भी आमदनी होगी वह ग्राम कोष में जमा की जायेगी । ग्राम सभा के पास निम्नलिखित साधनों से आमदनी होगी–

क. ग्राम सभा द्वारा टैक्स लगाकर

ख. जिला पंचायत निधि से या त्रिस्तरीय पंचायतों की निधि से मिलने वाली राशि जिसमें

भू–राजस्व,	भू–राजस्व उपकर
गौण खनिज	गौण खनिज पर प्राप्त रायल्टी
	मछली पकड़ने के अधिकार के पट्टे से मिलने वाली राशि
चराई फीस,	शाला–भवन उपकर शामिल हैं ।

ग. केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार स्कीमों और कार्यक्रमों के लिये मिलने वाला पैसा।

घ. ग्राम सभा की अन्य गतिविधियों से होने वाली आमदनी

च. दान

केन्द्र और राज्य सरकार से जो पैसा आयेगा वह ग्राम पंचायत निधि में जमा होगा। ग्राम पंचायत निधि से उस पंचायत में आने वाले गांवों में वह पैसा उस गांव के ग्राम कोष में भेजा जायेगा । यह पैसा किसी मनमाने तरीके से नहीं बांटा जायेगा इसके लिये राज्य वित्त आयोग, मापदंड /आधार बनायेगी । इन आधारों के अनुसार ही ग्राम सभा को पैसा भेजा जायेगा ।

केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाले अनुदान की योजनाये

1. **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** :– यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार का मुखिया जिसकी मृत्यु हो गई है । जिसकी कमाई से परिवार का गुजारा चलता हो एवं जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो की मृत्यु पर 10.00 हजार रुपये सहायता राशि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत प्रदाय की जाती है ।

2. **इन्दिरा आवास योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो आवास हीन है । आवास निमार्ण हेतु सहायता राशि रुपये 20.00 हजार प्रदाय की जाती है । जिसमे हित ग्राही को आवास एवं शौचालय व धुऑ रहित चूल्हा का निमार्ण किया जाना आवश्यक है ।

3. **उन्यन आवास** :– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनेक पास कच्चा आवास है । पक्का करने हेतु 10.00 हजार रुपये प्रदाय किये जाते है । जिसमे हित ग्राही को आवास एवं शौचालय व धुऑ रहित चूल्हा का निमार्ण किया जाना आवश्यक है ।

4. **आवास ऋण एवं अनुदान योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम ना भी हो एवं परिवार की आय 32.00 हजार रुपये से अधिक ना हो तो बैंक द्वारा 40.00 हजार रुपये आवास निमार्ण हेतु कर्ज के रूप में प्रदाय किये जाते । जिसमे हित ग्राही को आवास एवं शौचालय व धुऑ रहित चूल्हा का निमार्ण किया जाना आवश्यक है ।

5. **सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना** :– ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु यह योजना लागू की गई है । जिसमें केन्द्र एवं राज्य द्वारा 80 : 20 के अनुपात में राशि प्रदाय की जाति है । इस योजना में 70 : 30 के अनुपात में मजदूरी के रूप में नगद एवं खाद्यान प्रदाय किया जाता है ।

6. **जवाहर रोजगार योजना** :– केन्द्र की क्षेत्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध परिसंम्पति निमार्ण एवं रखरखाव लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु ग्राम पंचायतों

को राशि प्रदाय की जाति है । इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में खाद्यान भी प्रदाय किया जाता है ।

7. **विधायक निधि** :– इस योजना के अन्तर्गत विधायक द्वारा ग्राम पंचायतों में निमार्ण कार्य हेतु योजना मण्डल में स्वीकृति के बाद राशि प्रदाय की जाती है ।

8. **सासंद निधि** :– इस योजना के अन्तर्गत सासंद द्वारा ग्राम पंचायतों में निमार्ण कार्य हेतु योजना मण्डल में स्वीकृति के बाद राशि प्रदाय की जाती है ।

9. **आदिवासी विकास उपयोजना** :– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्राम में मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाति है । यह राज्य सरकार की योजना है।

10. **हरिजन विशेषांक** :– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्राम में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाति है । यह राज्य सरकार की योजना है।

11. **ग्यारहवॉ वित्त आयोग** :– इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में शाला भवन आदि के निर्माण हेतु राशि प्रदाय की जाती है ।

ग्राम कोष

ग्राम सभा को गांव के विकास के बहुत से काम करने हैं । इसके लिये धन की जरूरत होगी । अभी तक यह जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की थी इसलिए गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आता

था वह पंचायत निधि में आता था । अब गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आयेगा वह ग्राम कोष में जमा होगा । इसका मतलब है कि हर गांव में एक ग्राम कोष बनाया जायेगा । ग्राम कोष में पैसा नीचे लिखे साधनों से आयेगा –

1. ग्राम सभा द्वारा टैक्स लगाकर
2. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विभिन्न स्कीमों के लिये मिलने वाली राशि ।
3. जिला पंचायत निधि से या त्रिस्तरीय पंचायतों की निधि से मिलने वाली राशि जिसमें भू–राजस्व, भू–राजस्व उपकर, चराई फीस और शाला भवन के लिए उपकर शामिल हैं।
4. और दूसरे साधनों से आमदनी ।
5. दान

ग्राम पंचायत निधि में जो भी पैसा आता था वह अब भी ग्राम पंचायत निधि में ही आयेगा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से विभिन्न कार्यक्रमों के लिये जो पैसा आयेगा वह भी ग्राम पंचायत के पास आयेगा । ग्राम पंचायत इस पैसे को ग्राम सभाओं को भेजेगी । किस गांव को कितना पैसा भेजना है यह किसी मनमाने ढंग से तय नहीं होगा । राज्य वित्त आयोग के द्वारा बनाये गये मापदंडों (आधार) पर ग्राम पंचायतें यह पैसा ग्राम सभाओं को भेजेंगी।

ग्राम स्वराज की एक प्रमुख बात यह है कि गांव, जहां तक बन सके अपने पांव पर खड़ा हो यानि की आत्मनिर्भर हो । बहुत दिनों से यह परम्परा या धारणा बन गई है कि जो कुछ भी करना है वह सरकार को ही करना है। इस तरह से गांव लगभग पूरी तरह से सरकार पर आश्रित हो गये हैं । पिछले कुछ सालों में गांव के विकास के सरकारी कार्यक्रमों में जनभागीदारी की बात लागू की गई

है परन्तु फिर भी साधनों और धन के लिए बहुत हद तक गांव अभी भी सरकार पर आश्रित हैं । गांव के आत्मनिर्भर होने पर ही असली मायनों में ग्राम स्वराज आयेगा । गांव आत्मनिर्भर बन सकें इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर गांव में ग्राम कोष बनाने की बात कही गई है।
ग्राम कोष में चार कोष होंगे –

- अन्न कोष
- श्रम कोष
- वस्तु कोष
- नगद कोष

ग्राम सभा का गांव के कर्मचारियों पर नियंत्रण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7(ठ) में प्रदेश शक्तियों का उपयोग कर ग्राम सभा क्षेत्र सीमाओं के भीतर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों के उपयोग के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसका उल्लेख ग्राम सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण में अनिवार्य रूप से लिखी जाये।

कर्मचारियों का मुख्यालय

ज़िले के सभी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ अपने सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के मुख्यालय निर्धारित करेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा कर्मचारियों को देंगे। यह आदेश सभी विभाग 30 मई, 2002 तक अनिवार्य रूप से जारी करेंगे। सभी सरकारी

कर्मचारियों का यह दायित्व होगा कि वे अपने मुख्यालय में 25 जून 2002 के पूर्व अनिवार्य रूप से निवास करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्यालय की ग्राम सभा को लिखित में देंगे। इसका उल्लेख ग्राम सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण में अनिवार्य रूप से लिखा जाये।

कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र

संभव है कि अधिकांष कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं में फैला हो। ऐसे कर्मचारी अपने प्रभार के प्रत्येक ग्राम में जाने के लिये अपना दिन निर्धारित करेंगे। निर्धारित दिन की सूचना संबंधित ग्राम की ग्राम सभा को लिखित में देंगे। जिसका उल्लेख ग्राम सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्षेत्र भ्रमण

संबंधित कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से उस ग्राम सभा के क्षेत्र में स्थित ग्राम में भ्रमण करे। अपने विभाग से संबंधित स्थाई समिति के अध्यक्ष/समिति के सदस्यों से मिले। अपनी टूर डायरी में इस आषय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करे और उसमें भ्रमण का उल्लेख करे।

गोकुल ग्राम प्रकल्प

प्रदेश में गोकुल ग्राम प्रकल्प का क्रियान्वयन 25 सितम्बर 2004 से प्रारंभ किया गया है। इस प्रकल्प का प्रमुख उददेश्य चयनित ग्रामों में स्व्च्छ परिवेश में आधारभूत अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं की ऐसी समुचित और परिणाममूलक व्यवस्था सुनिश्चित करना हैं ताकि इन ग्रामों में सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया और पंच–ज अभियान को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके।

गोकुल ग्राम प्रकल्प के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 5 ग्रामों के चयन का प्रावधान किया गया था। ग्रामों का चयन जिले के कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री, जिले के माननीय सांसद एवं समस्त माननीय विधायकों से विचार विमर्ष कर किया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1084 ग्रामों का चयन हो चुका है। ऐसे ग्रामों के चयन को प्राथमिकता दी गई जो सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न संकेतकों के सेदर्भ में अपेक्षाकृत पिछड़े हो । चयनित ग्रामों में विभिन्न नामतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्जा, कृषि, स्कूल शिक्षा, पशुपालन, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, सहकारिकता, ग्रामोधोग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, आदिमजाति जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, खाघ, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मछली पालन, वन तथा राजस्व विभाग की चिन्हित गतिविधियों का क्रियान्वयन प्राथमिकताओं पर किया जाकर प्रत्येक गांव की समेकित विकास योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे है, जिससे क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप ही विकास के विकल्पों को अपनाया जा सके। चयनित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम विभिन्न शासकीय विभागों की तत्सम योजनाओं तथा जनसहभागिता से वित्तीय संसाधनों का नियोजन किया

जावेगा ।ऐसी गतिविधियां, जिनके लिए अन्य स्त्रोतों से धनराषि उपलब्ध नहीं हो सकती है, उसके लिए तनसहभागिता एवं सांसद निधि/विधायक निधि से भी सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे।

गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत चयनित ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जीविका को विकल्प के रूप में लधु डेयरी इकाई प्रदान करने के लिए गोदान योजना भी क्रियान्वित की जावेगी । इस हेतु सामान्य वर्ग के परिवारों को रू,10,000 एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के परिवारों को रू,15,000 का अनुदान भी प्रदान किया जावेगा।

ग्राम पंचायत

पहले की पंचायत व्यवस्था

पंचायतों की परम्परा हमारे यहां कोई नई बात नहीं है, गांव की पंचायतें गांव में विवादों का निपटारा, न्याय, समाज के नियम कायदे तय करना, कुआं, बाबड़ी, तालाब, धर्मशाला बनवाना, पढ़ाई–लिखाई और इलाज की व्यवस्था सरीखे समाज के लिए उपयोगी अनेकों काम गांव की पंचायतें करती थी । इन परम्परागत पंचायतों का स्वरूप लगभग अनौपचारिक था । उनके कायदे कानून लिखित नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर आज के लिखित कानूनों से कुछ ज्यादा ही था । पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था । पंचायतों का समाज में इतना सम्मान था कि पंचायतों के पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता था।पंचायतों के पास समाज का भरोसा और ताकत थी । एक तरफ तो पंचायत की यह आदर्श और गुलाबी तस्वीर थी । दूसरी ओर यह भी सच है कि वह हकीकत उतनी सुहावनी नहीं थी जितनी भावनाओं में बहकर कुछ लोग गुणगान आज भी करते हैं । परम्परागत पंचायतें सांमतवादी दबदबे का प्रतीक थीं जिनमें महिलाओं, गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का स्थान नहीं था । ऊँच–नीच पर आधारित इन पंचायतों में समानता का दूर–दूर तक कोई लेना देना नहीं था । पहले सजा के तौर पर अपमानजनक शब्द मारपीट आदि अमानवीय और अपमानजनक

व्यवहार भी कहीं –कहीं पंचायतों में होता था, अक्सर बड़ी जाति के संपन्न लोगों का ही बोलबाला था ।

पंचायतों का नया स्वरूप

आज पंचायत की जो व्यवस्था है वह कानूनी और औपाचारिक है जिसके पास कानूनी की ताकत और संविधान का सहारा तो है परंतु समाज का भरोसा और ताकत उसके पास लगभग नहीं है । आज पंचायतों में कानूनी तौर पर किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार, व्यक्तिगत अपमान एवं अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता । सभी को बराबरी से भागीदारी करने का और अपनी बात रखने का अधिकार है । समाज में फैली ऊॅच–नीच और गैर बराबरी की परम्परा को मिटाने के लिये आज भी पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये एक तिहाई सीटें ग्राम सभा की समितियों से लेकर जिला पंचायत तक आरक्षित की गई हैं । इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये भी ग्राम सभाओं से लेकर जिला पंचायत तक हर जगह आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सदियों तक पिछड़े रहने और चुप्पी की संस्कृति में रचे बसे वंचित और पिछड़े वर्ग के सदस्य और महिलायें पंचायत राज के प्रारंभिक समय में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाये कानूनी प्रावधानों के कारण महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के पंचायत में चुनकर आने से औपचारिक खानापूर्ति तो हो गई परंतु परम्परागत प्रभाव के

कारण वे अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके । परंतु धीरे–धीरे वे समझने लगे हैं और अपनी भूमिका निभाने के लिये तैयार हो रहे हैं । सच है कि मौका मिलने पर इन सभी वर्गो के सदस्यों ने कहीं–कहीं पहलकदमी करके अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है । आज अनेकों स्थानों पर आरक्षण न होने के बावजूद भी सामान्य सीटों से महिलायें और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य सामान्य सीटों से पुरूषों और उच्च जाति के लोगों को चुनाव में हराकर पंचायतों में चुनकर आये हैं । क्या यह उनके सक्षम होने के संकेत नहीं हैं ? यद्यपि अभी भी इन वर्गो की सक्रिय भागीदारी और सबकी बराबरी से पंचायत में अपना स्थान बनाने के लिये बहुत कुछ कोशिश करना होगी । फिर भी आरक्षण व्यवस्था के तहत मौका मिलने से इनमें से कुछ सदस्यों ने सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाई है और यह साबित कर दिया है कि मौका मिलने से क्षमतायें बढ़ती है । इसलिये तमाम कमजोरियों के बावजूद भी आरक्षण की व्यवस्था न केवल जारी रहना चाहिये वरन इस वर्ग के सदस्यों को प्रभावशाली भूमिका के लिये तैयार करन के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर कोशिश करते रहना चाहिये । इससे प्रजातांत्रिक स्वशासन में अधिक से अधिक वर्गो की भागीदारी होगी और कमजोर तबके की आवाज भी बुलंद होगी ।

पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था

पंचायत की मजबूती के लिये समाज का मजबूत होना जरूरी है वह भी पूरे समाज का समाज के सभी वर्गो का , समाज के सभी अंगों का । यदि कोई छोटा सा हिस्सा या कोई एक कड़ी भी

कमजोर रह गई तो पूरा समाज कभी मजबूत नहीं बन सकता । इसलिये जरूरी है कि महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य सार्वजनिक जीवन में पीछे रह गये हैं। कमजोर है । उन्हे आरक्षण देकर तथा और कोशिश करके मुख्य धारा में लाकर सबके बराबर लाना और साथ–साथ चलकर एक मजबूत समाज बनायें। मजबूत समाज ही मजबूत प्रजातंत्र बना सकता है ।

पंचायतों में आरक्षण किस तरह से होता है ?

73 वें संविधान संसोधन में की गई व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेष में सभी ग्राम पंचायतों , जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये कानून बनाबर आरक्षण किया है । जो इस प्रकार है :–

- तीनों स्तर की सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की आबादी (जनसंख्या) के आधार पर उनके लिये पदों का आरंक्षण किया है ।
- पंचायत के कुल वार्डो में से कुछ वार्ड अनुसूचित जाति और कुछ अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिये आरक्षित किये गये है ।
- पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जितनी जनसंख्या होगी उतने फीसदी (प्रतिषत) वार्ड इनके लिये आरक्षित होगे ।
- जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित वार्डों की संख्या पंचायत की कुल वार्डो की संख्या से आधी या उससे कम होगी तो पंचायतों के कुल वार्डो के एक चौथाई (पच्चीस प्रतिषत) वार्ड अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित किये गये है।
- यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित वार्ड पंचायत के कुल वार्डो की संख्या से आधे से ज्यादा होगी तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण नही होगा ।

जिन वार्डों का आरक्षण नही होगा वहॉ से कौन चुनाव लड़ सकता है ?

- जिन वार्डों का आरक्षण नही होगा उन्हे सामान्य वार्ड या अनारक्षित वार्ड कहते है । सामान्य वार्ड से कोई भी पुरूश या महिला चुनाव लड़ सकते है । मतलब यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलायें उनके लिये आरक्षित वार्डो के अलावा सामान्य वार्डों से भी चुनाव लड़ सकते है । अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्ड तय हो जाने के वाद प्रत्येक वर्ग की सीटो मे से एक तिहाई सीटें उस वर्ग की महिला के लिये आरक्षित होगी ।
- महिलाये अपने लिये आरक्षित अलावा दूसरी किसी भी सीट से भी चुनाव लड़ सकती है ।

पहले और आज की पंचायतों का अंतर

पहले की पंचायतों का विवाद निपटाने व न्याय करने पर ज्यादा जोर होता था जबकि आज पंचायतों का जोर गांव के विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों पर ज्यादा होता है । आज की पंचायतों को कानून का रूप जरूर मिल गया है परन्तु समाज का लगाव पहले की तरह नहीं है। हो भी कैसे ? पंचायतें सरकारी कायदे कानून और उनकी प्रक्रियाओ जटिल हैं कायदे कानून और प्रक्रियायें गांव समाज के तौर तरीकों और उसकी सोच से बहुत दूर हैं । यदि पहले की पंचायतें सामंती बुराईयों से घिरी थी तो आज की पंचायतें औपनिवेशिक (गुलाम बनाये रखने की) व्यवस्था की बुराईयों का पिटारा है । दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण और दोष हैं उनकी ताकत और

कमजोरियां हैं । यदि दोनों व्यवस्थाओं की कमजोरियों और दोषों को दूर करके इनकी ताकत और गुण एक साथ अपनाये जा सकें तो पंचायतराज आदर्श हो सकता है ।

पंचायत राज की शुरूआत कैसे हुई ?

देश को आजादी मिलने के बाद फिर से पंचायतों की सुध लेने के लिए बलवंतराय मेहता समिति ने जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब तीनों स्तरों पर पंचायत के गठन की सिफारिश की । 1978 में अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को असरदार बनाने के लिए कहा कि जब तक पंचायतों के काम में सरकार दखल देती रहेगी पंचायतें स्वायत्त संस्था नहीं बन सकती । इस तरह समितियां सिफारिश करती रहीं जिनमें से कुछ लागू की गई तो कुछ भुला दी गई । कुछ मिलाकर पंचायतें सरकार की मर्जी की मुहताज बनी रहीं । जब चाहा उन्हें भंग कर दिया । बरसों तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये एक तरह से उन्हें भुला ही दिया गया था ।

73 वां संविधान संशोधन

पंचायतराज के इतिहास में 24 अप्रैल, 1993 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है इस दिन संविधान में 73 वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतराज को स्थाई कर अधिकार संपन्न और जिम्मेदार बनाने का रास्ता खोला गया ।

73 वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें जिसने पंचायतों को स्थाई करके महत्वपूर्ण भूमिका दी है ।

- जिला, जनपद और गांव मे तीनों स्तरों पर पंचायत का गठन किया गया है । संसद और विधान सभा की तरह ऊपर बताई गई तीनों स्तर की पंचायतें अब संवैधानिक संस्थायें हो गई हैं । इनके पास अब कानून की ताकत है ।
- सभी गांव में ग्राम सभा है जिसमें सभी वयस्क (18 साल के ऊपर) मतदाता इसके सदस्य हैं। ग्राम सभा भी अब संवैधानिक संस्था बन गई है ।
- संसद और विधान सभा की तरह हर पांच साल में पंचायतों के चुनाव कराना जरूरी हो गया है।
- यदि कभी कोई पंचायत भंग कर दी जाये तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है । मतलब यह कि पंचायतों को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए भंग करके नहीं रखा जा सकता।
- चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों इसके लिए प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। यह आयोग स्वतंत्रता से काम कर सके इसके लिए आयोग को सरकार के अधीन नहीं बल्कि एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बनाया गया है ।
- संविधान की 11 वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर काम सौंपे गये हैं । वे सभी काम राज्य सरकार ने पंचायतों को सौंपें हैं ।
- महिलायें आगे आकर काम कर सकें इसके लिए ग्राम सभाओं और तीनों स्तरों की पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं ।
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए भी जहां उनकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं ।

- ग्राम पंचायत के सरपंच, सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से मतलब सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है ।
- ग्राम पंचायत के उपसरपंच जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है मतलब उनका चुनाव पंचायतों के चुने गये सदस्य करते हैं ।
- राज्य वित्त आयोग बनाया गया है जो यह तय करता है कि पंचायतों को किस आधार पर राज्य शासन द्वारा राशि दी जाय।

पंचायतों की क्षेत्र और अवधि

ग्राम पंचायत के गठन के लिये यह जरूरी है कि गांव की आबादी कम से कम एक हजार हो। अगर गांव की आबादी एक हजार नहीं है तो एक से ज्यादा गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनेगी। हर ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक के लिये तय की गयी तारीख से पांच साल तक के लिये बनी रहेगी।

ग्राम पंचायत का गठन

हर ग्रामवासी, जिसका नाम किसी गांव की मतदाताओं की सूची में है, अपनी पंचायत के पदधारी के चुनाव में मत दे सकेगा और खुद भी पंचायत के पदधारी के रूप में चुना जा सकेगा। हर ग्राम पंचायत चुने गये पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगी।

ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। पूरी पंचायत के लिये सरपंच का सीधे चुनाव होगा और पंचायत के हर वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होगा। हर चुनाव के बाद सरपंच और पंच चुने गये सदस्यों में से एक उपसरपंच चुनेंगे।

यदि ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपसरपंच इन वर्गों से ही चुना जायेगा।

ग्राम पंचायत की समितियॉं

पंचायत का गठन होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पंच और सरपंच आपस में मिलकर कैसे काम करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में पंच असरदार तरीके से काम कर सके और पंचायत का काम ठीक ढंग से चले इसके लिये ग्राम पंचायत के तहत तीन समितियां बनाई जायेगी। वे समितियां हैंः

- सामान्य प्रशासन समिति
- निर्माण तथा विकास समिति
- शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति

इन स्थायी समितियों में ग्राम पंचायत के पंच सदस्य होगे। कोई भी पंच एक समय में दो से ज्यादा

समितियों का सदस्य नहीं होगा। समितियों के सदस्य अगर स्वयं नहीं हटते या नहीं हटाये जाते तो वे पांच साल के अपने पूरे कार्यकाल तक सदस्य बने रहेंगे। किसी भी समिति में –

- चार चुने हुए सदस्य होंगे।
- सरपंच तथा उप सरपंच हर समिति के सदस्य होंगे।
- सरपंच तीनों समितियों का सभापति होगा।
- पंचायत कर्मी या सचिव तीनों समितियों का सचिव होगा। यहॉ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक समिति की हर माह बैठक होगी।
- हर समिति का एक बैठक रजिस्टर होगा।
- सामान्य प्रशासन समिति सभी समितियों के फैसले पंचायत के सामने रखेगी।
- पंचायत उन्हें बहुमत से स्वीकार कर सकती है या समिति को फिर से विचार करने के लिये वापस भेज सकती है।

ग्राम पंचायत की समितियों के कार्य

2.1 सामान्य प्रशासन समिति

- पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य का अनुमोदन

- बजट एवं लेखा
- कराधान तथा दूसरे वित्तीय विषय व
- भूमि विकास तथा संरक्षण
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- राजस्व
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम

2.2 निर्माण तथा विकास समिति

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना
- प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण,
- निर्माण के ले आउट की योजना
- बजट तथा उसका क्रियान्वयन
- संचार में सुधार,, कुटीर तथा खादी उद्योगों के विकास पर जोर
- उद्यान या पार्क बनाना व भविष्य के निर्माण की योजना
- ग्रामीण विद्युतीकरण, वन, डेयरी, कृषि
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा जल संसाधन

2.3 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति

- क्षेत्र के सभी स्कूलों का निरीक्षण
- पंचायत आंगनबाड़ी, बालवाड़ी को देखना व बढ़ावा देना
- शिक्षकों की उपस्थिति हर महीने की 5 तारीख तक प्रमाणित करना
- टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना व जांच करना
- पंचायत क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र की जांच और उनकी उपस्थिति प्रमाणित करना
- सामाजिक पिछड़े व विकलांग लोगों के लिए योजना बनाना व लागू करना
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्य, सफाई आदि कार्य।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बंटवाना एवं जांच करना
- महिला एवं बाल विकास
- समाज कल्याण
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास के कार्यक्रम बनाना
- मछली पालन
- खेलकूद
- श्रम या मजदूरी